Regarding equality in recruitment in autonomous and other educational institutions

***m01** श्री धर्मेन्द्र यादव **(**आज़मगढ़**) :** सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंडल आयोग की सिफारिश के बारे में चर्चा करना चाहता हूं । मंडल आयोग की सिफारिश जिस समय लागू हुई थी, वह सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार बना कर लागू हुई थी । उस समय न केवल मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई, बल्कि उन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत सारी संस्तुतियाँ दी ।

सभापति जी, मंडल आयोग की सिफारिश, इसी सदन के पारित किए हुए कानून और तमाम चीजों की धज्जियाँ उड़ाते हुए, वर्ष 2014 से लेकर अब तक देश के तकरीबन 150 आईएएस अधिकारी जो अपनी मेधा, प्रतिभा और मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा में सफल हुए थे, उस परीक्षा की सफलता के बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है ।

सभापति जी, मंडल आयोग की सिफारिश के बाद वर्ष 1993 में डीओपीटी ने कार्यालय ज्ञापन जारी किया । जिस कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि अगर कोई अभ्यर्थी चयनित हो रहा है तो उसके माता-पिता की जो वेतन की आय है, जो कृषि की आय है, वह क्रीमी लेयर की कैटेगरी में काउंट नहीं होगी ।

वर्ष 1914 से लेकर आज तक शैक्षणिक आय, वेतन की आय, कृषि की आय को जोड़कर डेढ़ सौ से ज्यादा चयनित अभ्यार्थी सड़कों पर घूम रहे हैं । मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट के तमाम फैसलों के बाद भी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, कानून मंत्री मेघवाल साहब यहां उपस्थित हैं, आपके मंत्रालय ने भी सिफारिश की है, लेकिन डीओपीटी मंत्रालय उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, स्वीकार न करते हुए तरीके से, सदन के पारित किए कानूनों पर भी कर रहा है ।

सभापति जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बसंत कुमार नाम का अभ्यर्थी, जो रक्षा मंत्रालय की ऑडिट सर्विस में सेलेक्ट हुआ, उसी आय प्रमाण पत्र के आधार पर वर्ष 2023 की परीक्षा में 47 वीं रैंक पाकर आईएएस की परीक्षा टॉप कर रहा था, ऐसे भी परीक्षार्थी आज सड़कों पर घूम रहे हैं । देश की संसद की सर्वोच्चता है । देश के संविधान पर दो दिन तक लंबे-लंबे बखान भाजपा की ओर से किए गए । उन तमाम चीजों को नजरंदाज करके नौजवानों के साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्य, कमलजीत सहरावत जी ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** प्लीज आप बैठिए ।

? (व्यवधान)